बिटकॉइन है गैरकानूनी, रहें सतर्क

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में किया स्पष्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने निवेशकों को आगाह किया है कि देश में बिटकॉइन गैर कानूनी है। इसमें निवेश से बचना चाहिए। यह एक तरह की पोंजी स्कीम है और इसमें पैसा लगाने पर निवेशकों को चपत लग सकती है। खुद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद की स्थाई समिति को बताया है कि बिटकॉइन गैर कानूनी है। इस मुद्दे पर एक समिति गठित की गयी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कांग्रेस सदस्य वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों संबंधी संसदीय समिति को यह जानकारी दी है। समिति की यह रिपोर्ट हाल में संसद में पेश की गयी है।

समिति की बैठक के दौरान कई सदस्यों ने वित्त मंत्रालय और आरबीआइ के अधिकारियों से बिटकॉइन के बारे में सवाल किए थे, जिसके बाद मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारियों ने समिति को बताया कि बिटकॉइन पूरी तरह गैर-कानूनी है। बिटकॉइन के मुद्दे को संसद में उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया का कहना है कि यह एक वैश्विक पोंजी स्कीम है। सरकार और आरबीआइ को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना में हजारों करोड़ रुपये लगे हैं। इसलिए लोगों को इसके प्रति सावधान करना चाहिए। सोमैया का कहना है कि समिति आने वाले समय में बिटकॉइन के मुद्दे पर व्यापक पड़ताल कर सकती है। समिति के सदस्यों ने इस मुद्दे पर आरबीआइ के अधिकारियों से भी सवाल किया है। इस बीच वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को इसमें निवेश करने से बचना चाहिए। यह योजना पूरी तरह गैर कानूनी है।

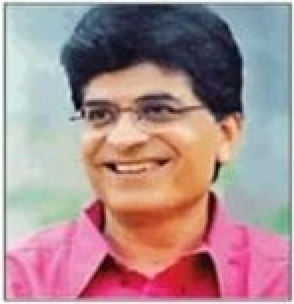

निवेश करने से हो सकता है भारी नुकसान, समिति बिटकॉइन की कर सकती है व्यापक पड़ताल : सोमैया

क्या है बिटकॉइन

बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी जैसी है जिसे एक ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी खरीद सकता है। इसकी खरीद-फरोख्त से फायदा लेने के अलावा भुगतान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 65 हजार रुपये है।

कैसे है पोंजी स्कीम

विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तरह की पोंजी स्कीम है जिसमें निवेशकों के साथ धोखा हो सकता है।